न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE
सत्यमेव जयते

cecoedecon

शिक्षा के अधिकार की 10 मुख्य विशेषताएं

- 6-14 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ौस के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य (कक्षा 1 से 8 तक) शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी भी बालक बालिका को अपनी शिक्षा पूरा करने से संबंधित किसी भी तरह का कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

- यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है या बच्चा किसी अन्य कारण से एक स्कूल से दूसरे स्कूल मे या एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाता है तो उसे गैर सहायता पर्याप्त एवं विशिष्ट कोटी के स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूल में प्रवेश पाने का अधिकार है ।

- जिस स्कूल मे बच्चा पढ़ रहा है, जब वह उसे छोड़कर जायेगा तो वह प्रधानाध्यपक से जल्द से जल्द स्थानान्तर प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा, लेकिन स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जमा कराने में देरी के आधार पर किसी बच्चे को प्रवेश से नही रोका जायेगा।

- बच्चे की उम्र के निर्धारण के लिए जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र एक्ट 1886 के अतिरिक्त अस्पताल/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी रिकार्ड/अभिभावक या माता-पिता द्वारा घोषित शपथ पत्र में भी उम्र के सबूत का दस्तावजे माना जायेगा। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चे को प्रवेश से वंचित नही किया जायेगा।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

cecoedecon

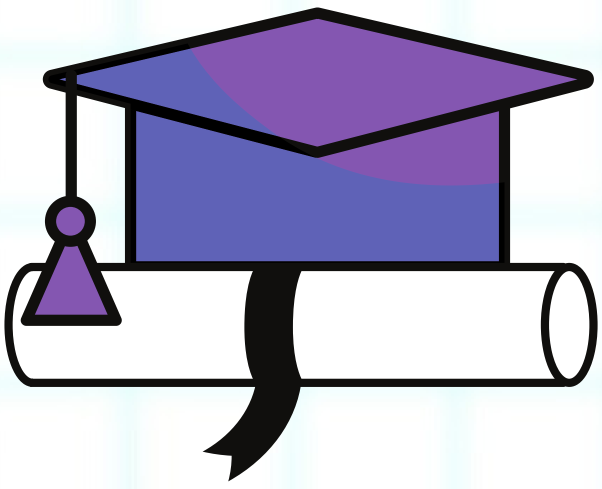

- बच्चे को दाखिला देते समय न उसे कैपिटेशन फीस ली जाएगी और न ही उसको स्वयं या उसके माता-पिता को चयन की प्रक्रिया से गुज़रना होगा |

- विद्यालय के शैक्षिक सत्र शुरू होने के 6 माह तक प्रवेश लेने का हक होगा। उसके बाद भी दाखिला मांगे जाने पर मना नहीं किया जाएगा|

- बच्चे को शारीरिक रूप से दण्ड़ित या उसका मानसिक उत्पीड़न नही किया जा सकता है। बच्चों को शारीरिक, मानसिक प्रताडना से मुक्त, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार होगा ।

- शिक्षा का अधिकार पा रहे सभी बच्चे निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म पाने के हकदार होंगे।

- कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों को विशिष्ठ श्रेणी तथा सरकार से गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों मे भी कक्षा एक में कुल प्रवेश का 25 प्रतिशत तक दाखिला लेने का अधिकार होगा।

- सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों को बच्चे के हक में आड़े नही आने दिया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
कार्यालय-प्रारंभिक शिक्षा - 0151-2220140
कार्यालय-माध्यमिक शिक्षा - 0151-2226055